



कार्यालय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद (शमन/स्वीकृत पत्र)

सेवा में, श्री अरुण सिन्हा डायरेक्टर
श्री निपुण बिन्दर लाल डायरेक्टर

प्र. वि. ए. डिस्ट्रिक्ट ऑफिस 509 निपुण लाल
कृष्णदत्त कान्पुरी सेंटर
दिल्ली

पत्रांक/ 367 प्रवर्तन/जी.डी.ए./20 श्री 1060/1/24-1725/2 मीट
विषय:- भूखण्ड संख्या 1726/1/24-1725/2 पर निर्मित भवन के निर्माण के
शमन मानचित्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय शमन आवेदन दिनांक 04-7-15 शपथपत्र एवं शमन मानचित्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके आवेदन पर सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 21-7-15 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आपके द्वारा शमन एवं अन्य धनराशि रु. 18,44,531/- (अठारह लाख चौअसिस हजार पाँच सौ इकतीस) रसीद संख्या X दिनांक 21-10-15 के द्वारा जमा किये जाने पर शमन मानचित्र में प्रस्तावित निर्माण को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत प्रदान करते हुये शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है।

1. निर्मित भवनों के प्रयोग से पूर्व संपूर्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा।
2. रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नियमानुसार संपूर्ति प्रमाण पत्र लेने से पूर्व मौके पर सुनिश्चित करनी होगी (300.00 वर्गमी० अथवा इससे अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल होने पर लागू)।
3. स्वीकृत शमन मानचित्र में स्वीकृति आच्छादन के अनुसार आवश्यक वृक्षारोपण सुनिश्चित करना होगा।
4. शपथ पत्र दिनांक 03-7-15 में दिये गये बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
5. उपरोक्त बिन्दु 2 से 4 तक की शर्तों के अनुपालन के उपरान्त ही संपूर्ति प्रमाण-पत्र हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार्य होगा।
6. भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
7. शमन उपरान्त स्वीकृत इकाईयों से अधिक इकाईयों का निर्माण नहीं करेंगे।
8. मा० उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 43362/2001 एवं 2435 एम.बी./2001 में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन करना होगा।
9. शमन मानचित्र की स्वीकृति के मद में गणनाओं में त्रुटिवश यदि कोई धनराशि शेष रह जाती है तो प्राधिकरण में जमा करानी होगी।
10. शमन मानचित्र में दर्शाये गये तथ्यों में से यदि कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो उसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
11. शमनित भवन की गुणवत्ता, मान्य तकनीकी मानको, स्ट्रक्चरल डिजाइन आदि में कमी अथवा अन्य किसी दोष के कारण यदि भवन में अथवा भवन के परिसर में कोई दुर्घटना होती है तो समस्त दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
12. पूर्व स्वीकृत मानचित्र संख्या/ 1963 /THA/जोन 106-57/.....दिनांक 25-5-07 एवम अन्य में दी गई शर्तों एवं उपरोक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय

संलग्नक : शमन मानचित्र की एक प्रति उपरोक्तानुसार।

19/10/15

02/11/15